



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

दिनांक-25.08.2026

कोतवाली- फर्रुखाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त धर्मवीर पुत्र रामप्रसाद निवासी नौशेरा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद मु0अ0सं0 - 434/2018 वाद संख्या 51/2018 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज व पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 25.08.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 50000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



को0 मो0 म0 का0 प्राची



पैरोकार - का0 राजीव कुमार

प्रेस नोट - थाना शमसाबाद

दिनांक - 25.08.2026

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-148/2026 धारा 137(2)/87/64(1)
बीएनएस व धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा थाना शमसाबाद पर पंजीकृत 148/2026 धारा-137(2)/87/64(1) बीएनएस धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम सुल्तानगंज खरैटा थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- सुनील कुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम सुल्तानगंज खरैटा थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- वादी द्वारा दिनांक 13.08.2026 को थाना शमसाबाद पर तहरीर बाबत अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0 148/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम 1. सुनील कुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम भुक्सी खरेटा थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ आदि 06 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान बरामदगी पीड़िता, बयान पीड़िता व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त सुनील उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त सुनील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-148/26 धारा-137(2)/87/64(1) बीएनएस व धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट ।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम-

1. एसओ श्री सचिन सिंह चौधरी
2. उ0नि0 श्री योगेश कुमार
3. का0 राहुल कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।